90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है भारत-नीदरलैंड के बीच 2018-19 में। भारत में निवेश के मामले में नीदरलैंड पांचवां सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारतीय मूल के लगभग ढाई लाख नीदरलैंड में निवास करते हैं।

पूजा का अधिकार होने से क्या मुस्लिमों का दावा कमजोर नहीं हो जाता

बड़ा मामला ▶ एकाधिकार जताने पर मुस्लिम पक्ष से संविधान पीठ ने किया सवाल

सवालों से घिरे राजीव धवन ने कहा – कोर्ट उन्हीं से सवाल करता है, हिंदू पक्ष से नहीं

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद का दावा करते हुए एकाधिकार और मालिकाना हक मांग रहे मुस्लिम पक्ष की दलील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि अगर वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार था तो क्या इससे मुसलमानों का एकाधिकार का दावा कमजोर नहीं हो जाता? सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के लगातार सवालों से मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन झल्ला गए और कहा कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं से सवाल पूछता है।

सोमवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अपील पर बहस पूरी कर ली। मंगलवार को हिंदू पक्ष उनकी दलीलों का जवाब देगा। कोर्ट में आज फिर सुनवाई के शेड्यूल पर चर्चा हुई। जब वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि बुधवार तक सुनवाई पूरी कर लेंगे। हालांकि बुधवार तक सुनवाई पूरी होना मुश्किल है, क्योंकि अभी हिंदू पक्ष को जवाब देना है और उसके बाद कोर्ट

वैकल्पिक मांग पर भी सुनवाई करेगा।

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से विवादित स्थान पर मालिकाना हक का दावा करते हुए राजीव धवन ने कहा कि वहां 1528 से जबसे मस्जिद बनी है, सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार रहा है। मुसलमान ही उस जगह के मालिक हैं। उनका मुकदमा समयबाधित नहीं है।

यह तो इतिहास दोबारा लिखने जैसा : धवन ने कहा कि कोर्ट को मुगल शासन और उसकी वैधानिकता पर नहीं विचार करना चाहिए। यह एक तरह से इतिहास को दोबारा लिखने जैसा होगा, जिससे पिटारा खुल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली में कोई नया शासक आए तो नया इतिहास लिखा जाए। हिंदुस्तान और यूरोप में अंतर है। यहां बहुत युद्ध हुए और जीते गए। उन्होंने अशोक का भी उदाहरण दिया।

इस्लामिक लॉ के कम ज्ञान की टिप्पणी पर पीएन मिश्रा का एतराज : धवन ने कहा कि कुछ चीजें कुरान और हदीस से चुनकर यह नहीं कहा जा सकता कि कुरान के खिलाफ काम किया गया। यहां लोगों को इस्लामिक लॉ का सीमित ज्ञान है और वे सवाल उठा रहे हैं। इस पर राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति की ओर से पेश वकील पीएन मिश्रा ने एतराज जताया। मिश्रा ने कहा कि धवन को कम ज्ञान है, तो वह सबके लिए यह बात कैसे कह सकते हैं। हाई कोर्ट ने विचार के तय प्रश्नों में एक प्रश्न रखा था कि क्या मस्जिद इस्लाम के मानकों के मुताबिक है और इसी पर मैंने बहस की। धवन ने कहा कि हाई कोर्ट का यह प्रश्न तय करना गलती थी। धवन ने वहां मस्जिद का दावा करते हुए कहा कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है। छह दिसंबर, 1992 को ढहाए जाने के बावजूद उसकी प्रकृति समाप्त नहीं होगी।

चार सौ साल पहले बनी मस्जिद के नीचे खुदाई करना ठीक नहीं : धवन ने कहा कि मस्जिद बनने के 450 साल बाद उसके नीचे खुदाई करके यह पता लगाना ठीक नहीं है कि पहले वहां कुछ था कि नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट के एएसआइ से खुदाई कराने के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि अगर इस तरह होगा तो फिर इन लोगों का कहना है कि 500 मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गईं।

दोबारा बनाई जाए मस्जिद : धवन ने कहा कि कोर्ट अगर वैकल्पिक मांग पूछ रहा है तो उनकी यही मांग है कि वहां पांच दिसंबर, 1992 की स्थिति बहाल की जाए। दोबारा मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने छह दिसंबर की घटना की निंदा की।

यूं चले सवाल जवाब, झल्लाए धवन

राजीव धवन – 1857 के बाद के रिकॉर्ड से साफ है कि अथॉरिटी ने मुसलमानों के अधिकार को वहां मान्यता दी है। बाबर द्वारा मस्जिद को दिए जा रहे अनुदान को ब्रिटिश सरकार ने भी जारी रखा था। 1886 में हिंदुओं ने मुकदमे में मालिकाना हक का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने दावा नहीं माना था।

जस्टिस अशोक भूषण – उस मुकदमे में मालिकाना हक नहीं मांगा गया था। चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ – वह मुकदमा मालिक घोषित करने की मांग का नहीं था।

राजीव धवन – तो मंदिर बनाने की इजाजत का मतलब क्या होता है। निर्मोही अखाड़ा का सिर्फ पूजा प्रबंधन का अधिकार था। मुसलमानों का वहां कभी मालिकाना हक समाप्त नहीं हुआ।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ – बाहरी अहाते में हिंदुओं का कब्जा था। इस केस में यह स्वीकार्य बात है कि 1855 के आसपास वहां राम चबूतरा बना। पूजा की इजाजत दी गई।

राजीव धवन – मुसलमान लगातार मुख्य द्वार का उपयोग करते थे।

जस्टिस एसए बोबडे – अगर हिंदुओं के पास पूजा का अधिकार था, तो क्या इससे आपका एकाधिकार का दावा कमजोर नहीं होता।

राजीव धवन – लंबे समय तक उस जगह का उपभोग करने के कारण उनके पास पूजा का अधिकार था। लेकिन मालिकाना हक नहीं था। अगर कोई मेरे घर आए और कहे कि क्या मैं आपके यहां हाथ धो सकता हूं और मैं उसे इसकी इजाजत दे दूं। वह रोजाना पांच बार हाथ धोने आए तो क्या वह मेरे घर का मालिक हो जाएगा।

जस्टिस एसए बोबडे – लेकिन कब तक यह जारी रह सकता है।

राजीव धवन – यह अधिकार कितना भी लंबा हो सकता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ – मामले में कहा गया है कि बैरागी वहां बाहरी अहाते में रहते थे। वहां 1855 में जो रेलिंग लगाई गई थी, वह वहां संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं थी। वह रेलिंग हिंदू और मुसलमान को अलग करने के लिए थी।

राजीव धवन – ऐसा कानून व्यवस्था के लिए किया गया था। यह सवाल तो हिंदू पक्ष से पूछा जाना चाहिए था। जवाब की जिम्मेदारी तो इन पर बनती है। इस केस में कोर्ट मुझसे ही सवाल पूछता है। इन लोगों (हिंदू पक्ष) से नहीं पूछता।

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन – इस तरह की बात नहीं की जा सकती।

रामलला के वकील के. परासरन – कोर्ट से ऐसे सवाल नहीं कर सकते।

राजीव धवन – मुझसे सवाल पूछे जाते हैं और मैं उनका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करे : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुखी को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दे। फारुखी ने जान के खतरे की आशंका जताई है। सोमवार को जब अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म हुई तो मुख्य न्यायाधीश ने पक्षकारों के समक्ष मध्यस्थता पैनल के सदस्य वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू की ओर से कोर्ट को ज्ञापन भेजे जाने की जानकारी दी। पीठ ने कहा कि इसमें कहा गया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुखी ने पंचू को पत्र लिखकर जान के खतरे की आशंका जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले मे अहम पार्टी है ऐसे में वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह फारुखी को तत्काल समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी और कमलेंद्र मिश्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आदेश का पालन होगा और फारुखी को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मामले में पेश हो रहे राजीव धवन ने कहा कि फारुखी को खतरा उत्तर प्रदेश सरकार से ही होगा। हालांकि रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने उनकी दलील का विरोध किया। जिस पर धवन ने कहा कि उन लोगों को भी फारुखी का पत्र मिला है जिसमें कुछ वकीलों को हटाने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने इन सब बातों पर गौर नहीं किया।

फारुखी ने ही किया था दोबारा मध्यस्थता शुरू करने का अनुरोध : बता दें कि पिछले महीने फारुखी की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल को पत्र भेजकर दोबारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा निर्वाणी अखाड़ा की ओर से भी पैनल को मध्यस्थता शुरू करने का पत्र भेजा गया था। मध्यस्थता पैनल ने इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए निर्देश मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन अगर पक्षकार मध्यस्थता जारी रखना चाहते हैं तो जारी रख सकते हैं।

नीदरलैंड के शाही जोड़े से मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा

▶ पांच दिन की यात्रा पर भारत आए हैं राजा अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। शाही जोड़ा मंत्रियों, अधिकारियों और उद्यमियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ पांच दिन की यात्रा पर रविवार शाम यहां पहुंचा था। 2013 में गद्दी संभालने के बाद राजा अलेक्जेंडर की यह पहली भारत यात्रा है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शाही जोड़े ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने वाले क्षेत्रों पर चर्चा की। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति भवन में शाही जोड़े का भव्य स्वागत किया गया। राजा और रानी मुंबई और कोच्चि भी जाएंगे। पिछले पांच साल के दौरान भारत और नीदरलैंड के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018-19 में 12.87 अरब डॉलर (करीब 90 हजार करोड़ रुपये) का कारोबार हुआ था। नीदरलैंड भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक भी है। 2000-2017 के दौरान उसने लगभग 23 अरब डॉलर का निवेश किया है। नीदरलैंड में लगभग ढाई लाख भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। शाही जोड़ा मंगलवार को 25वें प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेगा। नीदरलैंड इस सम्मेलन का साझेदार देश है। इसमें नीदरलैंड के लगभग 140 औद्योगिक घराने भाग ले रहे हैं।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक के दौरान नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

लोटुशर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू

नीदरलैंड की सहायता से दिल्ली के सन डायल पार्क में बने लोटुशर (लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रियूज) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को शाही जोड़े की मौजूदगी में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत बारापुला नाले के पानी के यमुना में गिरने से पहले साफ करने का प्लांट लगाया गया है। 2017 में इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी।

उप्र के विवि और डिग्री कॉलेजों में मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित

▶ परिसर या क्लास में प्रयोग करने पर जब्त कर लिया जाएगा फोन

▶ शिक्षक कक्षा से बाहर कर सकते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश में पठन-पाठन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। कक्षा या परिसर में मोबाइल पर बात करते अथवा वाट्सएप चलाते मिलने पर इसे जब्त कर लिया जाएगा। बाद में इसे अभिभावकों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि मोबाइल रखने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन, उसका प्रयोग परिसर के बाहर ही होगा। छुट्टी होने पर ही परिसर के अंदर मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह निर्देश पठन-पाठन को दुरुस्त करने के लिए दिया है।

राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। इसके पीछे एक कारण मोबाइल को भी माना गया है। कक्षा में छात्र-छात्राएं पढ़ने के स्थान मोबाइल से बात करने, फेसबुक चलाने और वाट्सएप पर चैटिंग करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ तो पढ़ाई के समय कक्षा के बाहर इधर-उधर बैठकर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। नियम के अनुसार, शिक्षक कक्षा से इतर जरूरत पड़ने पर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीसीटीवी से होगी निगरानी : उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में वायस रिकॉर्डिंग युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। उसके जरिए छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। हाल के दिनों में उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं, जिनसे संस्थान की छवि को धक्का लगा है।

प्रतीकात्मक

> पठन-पाठन का माहौल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेज परिसर में मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। मोबाइल रखने व परिसर के बाहर प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है।
> –डॉ. वंदना शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा

हेलीकॉप्टर हादसे में वायुसेना के दो अफसरों का होगा कोर्ट-मार्शल

नई दिल्ली, एएनआइ : बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत-पाक के बीच उपजे तनाव के दौरान जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाके में अपने ही एमआइ-17 हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने के मामले में वायुसेना के दो अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल होगा। 27 फरवरी को श्रीनगर में बडगाम के पास हुए इस हादसे में वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे और आम नागरिक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में चार अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इनमें दो एयर कोमोडोर (सेना में ब्रिगेडियर के बराबर) और दो फ्लाइट लेफ्टिनेंट (सेना में कैप्टन के बराबर) शामिल हैं।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि लापरवाही के लिए ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर रैंक के दो अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल होगा। श्रीनगर स्थित 154 हेलीकॉप्टर इकाई का यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया था, जबकि, जहां यह हादसा हुआ वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत में हमले की कोशिश की थी, जिन्हें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान समेत भारतीय पायलटों ने खदेड़ दिया था। वायुसेना के नवनियुक्त प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने पद संभालने के तुरंत बाद कहा था कि गलती से वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया था और इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ट उड़ा रहे थे।

ऑनलाइन आरटीआइ पर केंद्र और राज्यों को और चार हफ्ते का समय

▶ सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, कहा-जवाब दाखिल करने के लिए आगे और नहीं मिलेगी मोहलत

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम की वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र और 25 राज्यों को और चार हफ्ते का समय दिया है। सोमवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि उसके आगे और मोहलत नहीं मिलेगी।

याचिका में ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल के गठन की मांग की गई है, ताकि लोगों, खासकर विदेश में रहने वाले भारतीयों, को आरटीआइ आवेदन दाखिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और वो ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकें।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र और राज्यों की तरफ से इस मामले में अब तक जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर नाराजगी भी जताई। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्यों को 26 अगस्त को हो नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत दिल्ली स्थित एनजीओ प्रवासी लीगल सेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीओ का कहना था कि आरटीआइ कानून के सही उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब लोगों को सही समय पर सूचना मिले।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल बनाया है। केंद्र ने राज्यों से भी अपने यहां इस तरह की सेवा शुरू करने को कहा था। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य ने ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल का गठन नहीं किया है। आरटीआइ कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से सूचना मांग सकता है और विभागों को 30 दिन के भीतर उसका जवाब देना होता है।

सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की मांग वाली अर्जी खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार को सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, 'हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। मामला मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है, आप वहां जाइए।' उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि फर्जी व पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र को फर्जी मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही फेसबुक इंक की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से लिंक करने की मांग वाली याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है।

नौकरियों में गरीब सवर्णों को आयु में छूट की मांग पर सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को आयु सीमा में छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। याचिका में आर्थिक रूप से गरीबों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के कोटे के तहत आयु सीमा में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हैं। केके रमेश नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि सेवा के मामले में याचिका का सवाल नहीं है।

देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आइएएस अफसर ने संभाला पद

▶ तिरुअनंतपुरम की उप कलेक्टर बनीं प्रांजल पाटिल

▶ पहले प्रयास में ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में हासिल की 733वीं रैंक

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आइएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने सोमवार को तिरुअनंतपुरम की उप कलेक्टर का पद संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के लिए यहां पहुंचने पर प्रांजल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे पहले उन्होंने 2018 में एर्नाकुलम में सहायक कलेक्टर के पद पर एक साल तक काम किया था।

पद संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रांजल ने कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। उन्हें इस जिले को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और वह इसकी बेहतरी के लिए अच्छी योजनाएं बना पाएंगी। उन्होंने अपने सहकर्मियों और जिले के लोगों से भी सहयोग की उम्मीद जताई।

महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल की आंखों की रोशनी शुरू से ही कमजोर थीं। लेकिन छह साल की अवस्था में उनकी दृष्टि पूरी तरह से जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पाटिल ने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर की डिग्री ली थी।

प्रांजल ने 2016 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 733वां रैंक हासिल किया था। उसके अगले साल की परीक्षा में उनकी 124वीं रैंक आई।

युवाओं को संदेश देते हुए प्रांजल ने कहा, 'हमें कभी पराजित और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने प्रयासों से, हम हमेशा ही जो चाहते हैं उसे हासिल करने में सक्षम होते हैं।'

दृष्टिबाधित आइएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने सोमवार को केरल के तिरुअनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया। प्रेट्र

बीएसएफ ने की आधुनिक ड्रोन भेदी प्रणाली की मांग

▶ हाल में सीमा के पास कई ड्रोन देखे जाने के बाद की है यह मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आधुनिक 'ड्रोन भेदी प्रणाली' की मांग की है ताकि संचालन क्षेत्रों में संदिग्ध हवाई प्लेटफॉर्म्स को नष्ट किया जा सके। हाल में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कई ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ ने यह मांग की है।

बीएसएफ ने ड्रोन का पता लगाने वाली ऐसी प्रणाली की मांग की है जिसमें रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, जैमर और सभी ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए प्रणाली नियंत्रक हों। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से कहा है कि शत्रु के ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करे। बल से कहा गया है कि जवानों को प्रशिक्षित किया जाए जो जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इन प्रणालियों को संभाल सकें।' बीएसएफ ने ड्रोन भेदी ऐसी प्रणाली की मांग की है जिसे या तो जमीन पर स्थापित किया जा सके या किसी वाहन पर लगाया जा सके। बीएसएफ की मांग में यह भी कहा गया है कि प्रणाली अकेले उड़ रही किसी वस्तु या समूह में उड़ रहे ड्रोन को दूर से ही पहचानने में सक्षम हो और 10 सेकेंड के अंदर लक्ष्य का पता लगा सके।

अनुमान के मुताबिक, भारत में छह लाख से अधिक शत्रु ड्रोन या बिना नियंत्रण वाले यूएवी हैं और सुरक्षा एजेंसियां 'स्काई फेंस' और 'ड्रोन गन' जैसे आधुनिक ड्रोन भेदी हथियारों का विश्लेषण कर रही हैं ताकि इन हवाई वाहनों के माध्यम से आतंकवाद फैलाने या तोड़फोड़ की किसी घटना को रोका जा सके। बता दें कि हाल में पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा के पास ड्रोन से हथियार गिराने की घटनाएं हुई थीं जिसके बाद सरकार ने सेना को इन ड्रोन को मार गिराने के अधिकार दे दिए हैं।

वाट्सएप ग्रुप पर चाइल्ड पोर्न शेयर करने पर सात पर केस

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इंटरनेशनल वाट्सएप ग्रुप में चाइल्ड पोर्न (बच्चों की अश्लील तस्वीरें) साझा करने के मामले में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज किया गया है। सीबीआइ की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन सेल (आइपीसीसी) को 31 जनवरी, 2019 को जर्मनी के दूतावास से इस संबंध में सूचना मिली थी। जर्मनी ने साचा ट्रेपके नामक अपराधी के बारे में सीबीआइ को जानकारी दी थी। ट्रेपके को जर्मनी में बच्चों के यौन उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार के आरोप में पांच साल कैद की सजा हुई थी। सीबीआइ ने जांच में पाया कि जिन 29 इंटरनेशनल वॉट्सएप ग्रुप पर चाइल्ड पोर्न को साझा किया जा रहा था, उसमें ट्रेपके भी शामिल था। इन ग्रुप में सात भारतीय मोबाइल नंबर भी शामिल थे।

फैसला

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लिया फैसला, भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले पर जताया एतराज

राजस्थान में मीसा बंदियों की पेंशन व सुविधाएं बंद

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए मीसा और डीआरआइ बंदियों की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया है। अब तक प्रदेश में 1120 मीसा और डीआरआइ बंदियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन, रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही थी। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों में महापौर एवं सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय किया है। इसके तहत अब महापौर एवं सभापति का चुनाव आम जनता के बजाय पार्षद करेंगे। उधर, भाजपा ने गहलोत सरकार के इन दोनों फैसलों की आलोचना की है।

प्रदेश की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सलाह पर आपातकाल के दौरान जेल गए 1120 मीसा और डीआरआइ बंदियों को 'लोकतंत्र सेनानी' नाम दिया था। भाजपा सरकार ने इन 1120 लोगों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन, यात्रा भत्ता एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरकार ने 'लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि' योजना लागू की थी। अशोक गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद करने पर विचार करने की बात कही थी। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि तत्काल प्रभाव से मीसा और डीआरआइ बंदियों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बेवजह का भार थी। इससे बचने वाले पैसे का उपयोग राज्य के विकास में हो सकेगा।

अशोक गहलोत फाइल फोटो

क्या है मीसा व डीआइआर

आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक राजनीतिक बंदियों को आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा, मेंटिनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बंदी बनाया था। बाद में जनता सरकार ने इस कानून को समाप्त किया था। आपातकाल के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (डीआइआर) के तहत भी राजनीतिक बंदियों को जेलों में बंद किया गया था। हालांकि, अधिकतर राजनीतिक बंदियों को मीसा कानून के तहत ही जेलों में भेजा गया था।

भाजपा ने कहा-यह है ओछी मानसिकता : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीसा व डीआरआइ बंदियों की पेंशन बंद करने पर नाराजगी जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री तानाशाही की राजनीति करते हैं। आपातकाल के दौरान इन बंदियों ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। सरकार ने पेंशन बंद कर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। महापौर एवं सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष कराने के निर्णय पर पूनिया ने कहा, कांग्रेस जनघोषणा-पत्र से मुकर गई है।

डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को समन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग के आरोपों में घिरे कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने अब शिवकुमार की पत्नी और मां को तलब किया है। इसके पहले ईडी उनकी बेटी से पूछताछ कर चुका है। डीके शिवकुमार फिलहाल जेल में बंद हैं और दिल्ली की स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिवकुमार की पत्नी और मां को गुरुवार को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। उन्होंने कहा, शिवकुमार से पूछताछ और छापे में मिले दस्तावेजों की छानबीन के बाद 50 लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने मनी लांड्रिंग में उनकी मदद की थी। जल्द ही इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कर्नाटक में प्रदर्शन भी कर चुकी है। जबकि ईडी का कहना है कि उसके पास डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सुबूत हैं और इन सुबूतों के आधार पर वह जल्द ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी